न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....383/2023

सरकार बनाम विकास आदि

अंतर्गत धारा–498A,323/34,406,504,506 भा०द०सं०एवं
धारा–3/4 दहेज प्रति०अधि०
थाना–विजयनगर गाजियाबाद।
मु0 अ 0 सं0–1508/2021

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण बालकिशन एवं विकास को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि वादिनी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 01–12–2020 को आप अभियुक्त विकास के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद से आप अभियुक्तगण द्वारा (जो क्रमशः वादिनी के पति व ससुर हैं) द्वारा वादिनी से समय–समय पर अतिरिक्त दहेज में आई–20 कार की मॉग की गयी तथा वादिनी को इसके लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–498 ए. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि शादी के पश्चात् दिनांक 01–12–2020 से दिनांक 06–11–2021 के मध्य समय समय पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–323 सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि दिनांक 01–12–2020 से दिनांक 06–11–2021 के मध्य समय समय पर आप अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादिनी को गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि दिनांक 29–09–2021 को किसी समय आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि दिनांक 29–09–2021 को आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी का मंगलसूत्र व उसके कानों के कुण्डल निकालकर उसे वापस न किए जाकर आपराधिक न्यासभंग किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–406 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठमः यह कि विवाह के पश्चात् विभिन्न दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज में एक आई–20 कार की माँग की गयी व वादिनी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया। इस प्रकार आपने धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 23.11.2023

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.11.29 16:19:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 23.11.2023